(b) if so, the main features of the policy;

(c) whether Government have taken any decision to open coal mining and exploration to the private sector; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) The Government have decided to move a Bill in the Parliament to amend the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 to allow any Indian Company to mine coal and lignite not only for captive consumption but also for sale. The Government have also decided to amend the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and to frame Rules for setting up of an independent body to step up exploration of coal and lignite resources and to allocate blocks on the basis of a competitive bidding process.

The basic objectives of the above mentioned decision of the Government are to augment investment in coal mining, increase availability of coal and to improve its efficiency. Thereby greater consumer satisfaction will ensue.

Diversion of supply of coal to black market

892. SHRI K.M. SAIFULLAH:
DR. MOHAN BABU:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether coal meant for tobacco farmers in Andhra Pradesh is being diverted to black market as reproted in News Time dated 16th January, 1997;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action proposed against the middlemen responsible for diversion?

THE MINISTER OF THE STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) The Tobacco Board and the Singareni Collieries Company Ltd. have reported that no complaint about diversion of coal has been received. The Government of Andhra Pradesh has also not reported detection of any case of diversion.

(b) and (c) Does not arise in view of answer to part (a).

बिहार में खनन/कोयला क्षेत्र में ठेके प्राप्त किया जाना

893. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में खनन/कोयला क्षेत्र में ठेके प्राप्त करने के लिए माफिया वर्ग के सक्रिय होने की जानकारी है;

(ख) यदि माफिया वर्ग सक्रिय है तो उसे नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कोयला क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ठेके देने संबंधी नियमों को सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड तथा सरकारी क्षेत्र की अन्य कोयला कंपनियों द्वारा ठेके प्रदान किए जाते हैं; और

(ड) यदि हां, तो प्रमुख ठेकेदारों के नाम क्या हैं और क्या इन ठेकेदारों के आपस में कोई व्यापारिक या पारिवारिक संबंध हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) इस संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर इस संकट (क्रियाकलापों) से निपटने हेतु कार्रवाई की जाती है।

(ग) विभिन्न प्रकार के ठेकों को दिए जाने के बारे में अखबारों के माध्यम से निविदाओं को आमंत्रित किए जाने संबंधी नोटिस में ठेके दिए जाने के बारे में शर्तों के संबंध में ब्यौरे समाहित किए जाते हैं।

(घ) जी, हां।

(ड) मुख्य ठेकेदारों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (**नीचे देखिए**) कोयला कंपनियां ठेकेदारों के साथ व्यापारिक अथवा पारिवारिक पार्श्विका का संबंध नहीं रखती है।

विवरण

बिहार में कार्यरत मुख्य ठेकेदारों के नाम

(किसी एकल ठेके में 50 लाख रु. तथा इससे अधिक की लागत के ठेके)

1. सीमा सड़क संगठन (भारत सरकार का उपक्रम), महा प्रबंधक का कार्यालय, नई दिल्ली तथा धनबाद स्थित मुख्य अभियंता का कार्यालय।